

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य मंत्रालय ने खाद्य सुरक्षा और मानक (दूषित करने वाले पदार्थ, विषाक्त पदार्थ व अवशेष) अधिनियम, 2011 में संशोधन अधिसूचित किया

Posted On: 20 NOV 2017 4:54PM by PIB Delhi

स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने 7 नवम्बर, 2017 को एफएसएसएआई के माध्यम से खाद्य सुरक्षा और मानक (दूषित करने वाले पदार्थ, विषाक्त पदार्थ व अवशेष) अधिनियम, 2011 में संशोधन अधिसूचित किया है। इस अधिसूचना में चिकन सिंत मांस व मांस उत्पादों में एन्टीबायोटिक की अधिकतम स्वीकार्य सीमा का उल्लेख किया गया है। चिकन के लिए 37 एन्टीबायोटिक्स और 67 अन्य वेटेनरी दवाओं की अधिकतम स्वीकार्य सीमा को अधिसूचित किया गया है।

इस अधिसूचना के माध्यम से, आम नागरिक समेत सभी हितधारकों से 30 दिनों के अंदर (6 दिसंबर, 2017 तक) उक्त संशोधन पर सुझाव व प्रतिक्रियाएं आमंत्रित की गई है। इन सुझावों व प्रतिक्रियाओं को एफएसएसएअएई के वैज्ञानिक पैनल के समक्ष विचार के लिए रखा जाएगा। वैज्ञानिक पैनल के सुझावों पर विज्ञान समिति और बाद में खाद्य प्राधिकरण विचार करेगा तथा अनुमोदन प्रदान करेगा। मंत्री महोदय से अनुमोदन मिलने के बाद इसे भारतीय गजट में प्रकाशित किया जाएगा।

वीके/जेके/सीएल-5511

(Release ID: 1510233) Visitor Counter: 26

f







in